प्रेषक,

संख्या–५५५/60–3–2016

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त
आजमगढ़ मण्डल,
आजमगढ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः २७अप्रैल, 2016

विषयः– उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से संबंधित मेडिकों लीगल प्रोटोकाल पर चिकित्साधिकारियों के मण्डलवार प्रशिक्षण के संदर्भ में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत की गयी है। कोष के अंतर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मेडिकों–लीगल परीक्षण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र संख्या–1185/सेक–2–2015 दिनांक 06.05.2015 के माध्यम से मानक प्रकियाओं एवं परीक्षण से संबंधित जानकारी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर एकत्र करने के लिये दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में अब तक 12 मण्डलों में महिला कल्याण विभाग द्वारा राजकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों के नोडल मेडिकल चिकित्साधिकारियों एवं जनपदों के अन्य राजकीय चिकित्सकों को उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

मण्डलवार प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्‌देश्य चिकित्साधिकारियों को पीड़ित महिलाओं के मेडिको–लीगल परीक्षण के संदर्भ में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण एवं परीक्षण की उचित तकनीकि से अवगत कराया जाना है। इस क्रम में आजमगढ़ मण्डल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के चिकित्साधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 06 एवं 07 मई, 2016 का जनपद–आजमगढ़ मे प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से उपरोक्त कार्यक्रम में आजमगढ़ मण्डल के जनपदों के चिकित्साधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा शीघ्र ही

मण्डलीय जनपद (आजमगढ़) के उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा आपके सम्मुख सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या—५५५/60—3—2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी— आजमगढ़, मउ एवं बलिया।
2— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3— महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4— निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5— डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय, निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश।
6— डा0 गयासुद्दीन खान, उप निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश।
7— डा0 एच0 के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8— उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी आजमगढ़ मण्डल को इस निर्देश के साथ कि वे अपर निदेशक, मण्डलीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आजमगढ़ से स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करें।
9— उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी आजमगढ़ मण्डल एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी आजमगढ़, मउ एवं बलिया को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने जनपद से संबंधित चिकित्साधिकारियों को प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय के द्वारा नामित कराने हेतु यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये स्वयं भी प्रतिभाग करें।
10—श्री सुधीर कुमार राय, परामर्शदाता, महिला कल्याण विभाग को इस निर्देश के साथ कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु यथावश्यक समन्वय सुनिश्चित करें।
11—कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन लखनऊ को कोष की वेबसाइट पर अपलोड आदि करने हेतु।
12—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

C-2 tandan ji-go